न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

पीठीसीन अधिकारी

अनुपमा जोरवाल I.A.S.
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	RCMS.No.	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
10/2020	2020/00017	05.06.2020	25.06.2020

मैसर्स ऑल राजस्थान ट्रांसपोर्ट कम्पनी जरिये प्रो. संजय अग्रवाल पुत्र श्री सांवरमल अग्रवाल निवासी बांसवाडा, जिला बांसवाडा (राज.)

:– अपीलार्थी

–: बनाम :–

1. राजस्थान राज्य खाद्य एवं आपूर्ति निगम, जरिये प्रबंधक नागरिक आपूर्ति प्रतापगढ़ (राज.)
2. जिला रसद कार्यालय जरिये जिला अधिकारी, प्रतापगढ़ (राज.)

:– रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 38–39 RTPP ACT 2012 के तहत

उपस्थिति :–

1. श्री पारसमल जैन अधिवक्ता अपीलान्ट
   श्री पैरोकार सरकार

–: आदेश :– दिनांक 25.06.2020

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील विरूद्ध आदेश क्रमांक :– राराखानाआनि/स्थापना/2020–21/543–547 दिनांक 14.04.2020 द्वारा प्रबन्धक नागरिक आपूर्ति, प्रतापनगढ़ के संबंध में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी एक परिवहनकर्ता व्यवसायी (ट्रांसपोर्टर) संस्था है। जिसे वर्ष 2019–20 के दौरान जरिये निविदा राजस्थान राज्य खाद्य एवं आपूर्ति निगम लिमिटेड के माध्यम से जिला प्रतापगढ़ के तहसील क्षेत्र अरनोद एवं पीपलखुंट में नियंत्रित खाद्यान आपूर्ति का कार्यादेश दिनांक 27.08.2019 के अनुसार अनुबंध दिनांक 30.08.2020 की अनुसरण में प्राप्त हुआ है जिसके आधार पर अपीलार्थी संस्था द्वारा तहसील क्षेत्र अरनोद एवं पीपलखुंट अन्तर्गत राजस्थान राज्य खाद्य एवं आपूर्ति निगम लिमिटेड, शाखा, प्रतापगढ़ के दिशा–निर्देशों एवं कार्यादेशों की अनुपालना में नियमित रूप से निर्विदित सेवाएं प्रदान की जाती रही है तथा निविदा अनुबंध अनुसार अपीलार्थी संस्था की अन्तिम कार्यावधि दिनांक 29.08.2020 को समाप्त होगी।

किन्तु में दिनांक 13.04.2020 अपीलार्थी द्वारा दोपहर 12.30 PM पर निगम में पंजीकृत वाहन संख्या RJ06GA0383 - RJ06GA2585 तथा RJ35GA0352 अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम के घोटारसी स्थित गोदाम से तहसील क्षेत्र अरनोद एवं पीपलखुंट के विविध उचित मुल्य दुकानदारों को सप्लाई हेतु

193

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

रवाना हो वाहन चालको द्वारा दोपहर 3 बजे जीरो माईल (नल) चौराहा, प्रतापगढ़ (ON THE WAY) खड़ी कर प्रबंधक नागरिक आपूर्ति, राजस्थान खाद्यान आपूर्ति निगम, कार्यालय प्रतापगढ़ से डिलिवरी चालान लेने जाकर पुनः मौके पर पुहँचे उक्त दरम्यान कुछ नागरिकों ने शंका के आधार पर अपीलार्थी के गेंहुँ भरे ट्रकों को गैर लिया तथा तब पुलिस प्रशासन, जिला रसद अधिकारी प्रतापगढ़ मय प्रवर्तन निरीक्षक, तथा प्रबंधक नागरिक आपूर्ति, निगम प्रतापगढ़ भी मौके पर पहुँचे और वाहन कॉन्ट्रेक्टर सलीम एवं ड्राईवरों को पुलिस अधिकारियों को सौंप दिया तथा सप्लाई ट्रकों को जब्त कर अन्य चालकों की मदद से गेंहुँ से भरी ट्रकों को अपनी कस्टडी में लेकर अपीलार्थी तथा अपीलार्थी के व्यवसायिक (मुनीम) श्री राधेश्याम सेन एवं वाहन अनुबंधकर्ता सलीम खां मुस्लमान के विरूद्ध दिनांक 14.04.2020 को प्रातः 5 बजे एक प्राथमिकी संख्या 164/2020 अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 तथा राजस्थान खाद्यान एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 1976 के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित प्रकरण पुलिस थाना प्रतापगढ़ में दर्ज करवा दिया जो वर्तमान तक अनुसंधान में जैरे कार्यवाही है।

इसके उपरान्त प्रबंधक नागरिक आपूर्ति, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, प्रतापगढ़ द्वारा उपरोक्त कार्यवाही के क्रम में जरिये विवादित आदेश दिनांक 14.04.2020 के अनुसार अपीलार्थी के कार्यादेश दिनांक 27.08.2019 एवं अनुबंध दिनांक 30.09.2019 की शर्त संख्या 9,10,19,21 व 22 के उल्लघंन का दोषी मानते हुए अपीलार्थी का कार्यादेश, अनुबंध को निरस्त करते हुए धरोहर राशि जब्त करने का आदेश प्रदान कर दिया गया जिससे व्यथित होकर अपील अपीलार्थी श्रीमान की सेवामें निम्न आधारों पर सादर प्रस्तुत है।

1. यह है कि रेस्पोडेन्ट नंबर 1 का आदेश दिनांक 14.04.2020 न्याय एवं नियम के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह है कि रेस्पोडेन्ट नंब. 1 ने अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिए जाने हेतु कोई सुचना पत्र प्रेषित नहीं किया है और ना ही अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया है। इसलिए यह आदेश प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
3. यह है कि आदेश दिनांक 14.04.2020 में वैमनस्यता की भावना एवं अपीलार्थी को परेशान व जलील करने के लिए शीघ्रता में दिया गया है जो असंवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है।
4. यह है कि अपीलार्थी ने अनुबंध की शर्त संख्या 9,10,19,21,22 का उल्लंघन नहीं किया है और प्रथम द्रष्टयता अनुबंध की शर्तो का उल्लंघन भी साबित नहीं होता है फिर भी अनुबंध की शर्तो का उल्लंघन बताया जा कर कार्यादेश निरस्त करने एवं धरोहर राशि जब्त किये जाने का आदेश पारित किये जाने में रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने कानून की मंशा के विपरीत आदेश पारित कर भारी भूल की है।
5. यह है कि तीनों ट्रक जिनमें रेस्पोडेन्ट नं. 1 द्वारा भारतीय खाद्ध निगम के गोदाम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गेहुं डीलरों को वितरण किये जाने हेतु भरवाया था। ये तीनों ट्रक गेहुं सहित मुख्य सड़क पर (ON THE WAY) खडे थे कि लगभग 3 बजे रेस्पोडेन्ट नं. 2 द्वारा ट्रकों को अवैध रूप से अन्यत्र ले जा कर गेहुं खाली करवाने के बाद सोची समझी साजिश के तहत मनगडत कहानी बनाकर कतई झुठा प्रकरण पुलिस थाना प्रतापगढ़ पर दिनांक 14.04.2020 को प्रातः 5 बजे दर्ज करवाया गया है।
6. यह है कि मौके पर अपीलार्थी और उसका प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था ना ही दोनों में से किसी को बुलवाया गया और गंतव्य स्थान पर ट्रक पहुंचने से पूर्व ही असत्य तथ्यों के आधार पर रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने गेहुं को स्वयं को कब्जे में ले लिया है जबकि डीलर के यहां अपीलार्थी द्वारा रिजनेबल समयावधि में गेहुं नहीं पहुंचाया जाता अथवा डीलर को निश्चित मात्रा से कम गेहुं

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

सुपुर्द किया जाता तब अपीलार्थी द्वारा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन होना पाया जाता परन्तु इस मामले में रास्ते में ही मुख्य सड़क पर (ON THE WAY) अपीलार्थी एवं अपीलार्थी के व्यवस्थापक की अनुपस्थिती में प्रकरण बना दिया गया है। यह पूरी कार्यवाही न्याय प्रकिया व नियम के विपरीत होकर असंवैधानिक है।

7. यह है कि ट्रकों में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम पर रस्पोडेन्ट नंबर 1 द्वारा जो गेहुं भरवाया गया था वह मात्रा में पुरा था परन्तु रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध प्रकरण बनाने के लिये साजिश कर गेहुं की मात्रा में हेराफेरी की गई है। प्रथम इत्तला के अनुसार वाहन संख्या RJ06GA2585 एवं RJ35GA0352 में कट्टे पुरा होना दर्शाया गया है। जबकि वाहन संख्या RJ06GA0383 में कट्टों की संख्या अधिक होनी दर्शाई गई है। ऐसा केसे संभव हो सकता है? क्योंकि ट्रक में अगर रेस्पोडेन्ट नंबर 1 द्वारा भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से बराबर मात्रा में गेहुं के कट्टों का लदान करवाया गया है एवं मुख्य सड़क स्टेट हाईवे पर ट्रक रोक कर दिन दहाडे गेहुं की मात्रा कम ज्यादा किये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है जबकि ट्रकों में जितना गेहुं भरवाया गया था वह सामान मात्रा एवं गुणवत्ता में मौजुद था इसमें दिन दहाडे किसी प्रकार की हेरा फेरी किया जाना संभव नहीं है।

8. यह है कि वक्त घटना कोविड –19 का समय चल रहा था। शहर में लोक डाउन था। चप्पे चप्पे एवं चौराहों पर पुलिस जाप्ता तैनात था। जीरो माईल चौराहा प्रतापगढ़ कस्बे का मुख्य चौराहा है। जहां से मंदसौर (म.प्र.), करजु दलोदा (म.प्र.), अरनोद, रतलाम (म.प्र.), पीपलखूंट बांसवाडा, बांसवाडा नीमच (म.प्र.), छोटीसादडी धरियावद एवं चित्तौडगढ़ की और आने जाने के मुख्य रास्ते है। इस चौराहे पर दिन रात काफी पुलिस जाप्ता मौजुद रहता है। ऐसे चौराहे पर दिन में ट्रकों से हैराफैरी किया जाना संभव नहीं है।

9. यह है कि रसद विभाग ने इसी चौराहे पर किसी गुमटीनुमा दुकान से गेहु मिलना भी एफ.आई. आर में दर्शाया है। गुमटी से मिले गेहुं एवं ट्रक से मिले गेहु का कोई संबंध नहीं है। और अपीलार्थी का भी गुमटी एवं गुमटी में मिले गेहुं से कोई संबंध नहीं है। इसके बारे में वास्तविक स्थिती पुलिस अनुसंधान के पश्चात ही स्पष्ट होगी।परन्तु दर्ज एफ.आई.आर. में गुमटी से मिले गेहुं का ट्रकों से मिले गेहुं से संबंध बताकर प्रकरण बनाया गया है जो कि न्यायोचित नहीं है। क्योंकि ट्रकों में भारतीय खाद्य निगम से भरवाए गए गेहुं से अधिक मात्रा में गेहुं मिलना कतई संभव नहीं है।

10. यह है कि जब्त शुदा गेहुं रेस्पोडेन्ट नंबर 2 द्वारा रेस्पोडेन्ट नं. 1के मार्फत डीलरों को वितरण हेतु ट्रकों में भरवाया गया है अपीलार्थी द्वारा गेहुं का केवल परिवहन किया जा रहा था। परन्तु रस्ते में ही मुख्य सड़क पर दोनों रेस्पोडेन्ट ने मिलकर अवैधानिक रूप से अपने ही स्वामित्व के सरकारी गेहुं को जब्त किया जो कि न्यायोचित नहीं है। यह गेहुं कोविड–19 का होकर गरीब परिवारों को वितरण किया जाना था। परन्तु दोनों रेस्पोडेन्ट ने मिलकर अनुचित कार्यवाही कर परिवहन एवं वितरण में अवरौध पैदा किया है एवं जरूरतमंदों को खाद्यान्न मिलने से रोका है।

11. यह है कि अनुबंध की शर्त संख्या 19–22 में गेहु की मात्रा कम होने पर उसकी राशि की भरपाई अपीलार्थी से किये जाने का प्रावधान है परन्तु इस बारे में रेस्पोडेन्ट नंबर 1 द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इससे जाहीर होता है कि मात्रा में किसी प्रकार की कमी नहीं पाई गई है। जबकि शर्तों का उल्लंघन बताया जा कर कार्यादेश को निरस्त कर अमानत राशि जब्त किये जाने का आदेश प्रदान किया गया है। ऐसा आदेश कानून के विपरीत होकर न्याय के विरूद्ध है।

12. यह है कि तीनों ट्रकों से बरामद गेहुं में से कोई भी कट्टा खुला नहीं पाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि जो गेहुं भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से जिस स्थिति में रेस्पोडेन्ट नंब. 1

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

द्वारा लदान करवाया गया था जब्ती के वक्त उसी स्थिति में था। इससे यह जाहीर होता है कि गेहुं की मात्रा में कोई हेरा फेरी नहीं की गई है।

13. यह है कि ट्रक में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से गेहु लदान करवाने एवं डीलर की दुकान पर गेहुं उतरवाने का कार्य क्रमशः भारतीय खाद्य निगम व डीलर के जिम्मे रहता है अपीलार्थी का गेहुं लदान करवाने एवं उतरवाने की या मजदुरी देने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। रेस्पोडेन्ट नं. 2 द्वारा कार्यवाही के दौरान हमालों के बयान लेकर प्रथम दृष्टया अपीलार्थी को दोषी करार दिये जाने बाबत् कतई गलत कार्यवाही की गई है।

14. यह है कि रेस्पोडेन्ट नं. 1 द्वारा जारी चालानों में कट्टों की संख्या भी नहीं दर्शाई गई है जबकि नियमों के तहत यह आवश्यक है। रेस्पोडेन्ट नं. 1 द्वारा राज्य सरकार के आदेशों की पालना नहीं करके अपीलार्थी पर झुठा प्रकरण बनाने की साजिश रची गई है। जो कि न्याय प्रकिया के विरूद्ध है।

15. यह है कि दोनों रेस्पोडेन्ट नं. 1 एवं 2 ने अपीलार्थी से वैमनस्यता पाल कर कार्यादेश निरस्त करना एवं जमानत राशि जब्त करने की कार्यवाही करना पुलिस का अनुसंधान प्रारम्भ होने से पहले ही अतिशीघ्रता में किया गया निर्णय है एवं इसके पश्चात अपीलार्थी द्वारा जिन अन्य कार्यालयों में परिवहन का कार्य किया जा रहा है उन सभी कार्यालयों में पत्र द्वारा सूचित किया गया है जिससे दोनों रेस्पोडेन्ट की बदनियती जाहिर होती है।

अतः अपील अपीलार्थी प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेन्ट नं. 1 का आदेश कमांक : राराखानाआनि/स्थापना/2020–21/543–547 दिनांक 14.04.2020 को निरस्त किया जावे तथा आदेश दिनांक 14.04.2020 से पूर्व स्थिति बरकरार रखी जाने बाबत् आदेश फरमाया जावे।

प्रस्तुत अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्ट्रर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को सूचना पत्र जारी किये गये तथा अधिनसथ से मूल रिकार्ड पत्रावली तलब की गई जो बाद प्राप्ति रिकार्ड पर रखी गई तथा रेस्पोडेन्टगण की ओर से पैरोकार सरकार रसद तथा प्रबंधक नागरिक आपूर्ति, प्रतापगढ़ स्वयं उपस्थित हो प्रकरण में जवाब एवं लिखित बहस दिनांक 15.06.2020 को रिकार्ड पत्रावली पर प्रस्तुत की गई नकल अपीलार्थी को दिलाई गई उक्त दौरान अपीलार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र बाबत् विवादित आदेश दिनांक 14.04.2020 एवं 27.05.2020 से संबंधित सम्पूर्ण पत्रावली की नकलें प्राप्त करने तथा अपीलार्थी द्वारा पूर्व में किये गये कार्यो के बकाया भूगतान राशि प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया तथा निवेदन किया कि अपीलार्थी प्रकरण में बहस अन्तिम बाद नकलें प्राप्ति के साथ अवसर चाहते है इस संबंध में रेस्पोडेन्टगण को निर्देशित किया गया कि अपीलार्थी द्वारा आवेदित नकलें तुरन्त प्रभाव से नियमानुसार जारी की जावें तथा पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम हेतु आगामी तारीख पेशी को पेश हो।

पत्रावली दिनांक 18.06.2020 को पेश हुई वकुलाय पक्षकार उपस्थित बहस उभयपक्ष अन्तिम सूनी गई दौराने बहस अन्तिम अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित कथनों को दोहराते हुए मय लिखित जवाब एवं लिखित बहस बाबत् जवाब रेस्पोडेन्ट दिनांक 15.06.2020 का खण्डन करते हुए मुख्य रूप से निवेदन किया कि रेस्पोडेन्टगण द्वारा पारित विवादित आदेश दिनांक 14.04.2020 का मूल आधार दिनांक 13.04.2020 को अपीलार्थी के ट्रक जब भारतीय खाद्य निगम गोदाम घोटारसी से जरिये गेट पास रसीद

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

अनुसार लोड होकर अपने गन्तव्य स्थल तहसील क्षेत्र अरनोद एवं पीपलखुंट हेतु रवाना हो ऑन रोड जीरो माईल चौराहे पर खड़े किये हुए थे तथा उक्त परिवहन सामग्री के चालान प्राप्ति हेतु संबंधित वाहन चालकों द्वारा प्रबंधक नागरिक आपूर्ति कार्यालय प्रतापगढ़ से डिलिवरी चालान प्राप्त करने पश्चात् अपने गन्तव्य की ओर प्रस्तान करने थे उक्त दौरान मौके पर उपस्थित लोगों के द्वारा उक्त ट्रको में भरी सामग्री की कालाबाजारी होने की आशंका होने के आधार पर मौके पर पहुँचे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 तथा पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में उक्त वाहनों तथा सामग्री को जब्त कर लिया गया तथा उक्त विषय में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा जरिये प्राथमिकी संख्या 164/2020 विरूद्ध अपीलार्थी दर्ज करा दी गई जिसकी अन्वेक्षण कार्यावाही प्रक्रियाधीन रहते हुए ही अपीलार्थी के कार्यादेश एवं अनुबंध निरस्ती की कार्यवाही विधि विरूद्ध रहा है। साथ ही निवेदन किया कि रेस्पोडेन्टगण द्वारा दर्ज प्राथमिकी अन्तर्गत अपीलार्थी द्वारा परिवहनित सामग्री गेहुँ के कट्‌टे गेटपास अनुसार एक ट्रक में 320 तथा दो ट्रकों में 380–380 कट्‌टे बराबर मात्रा में होना तथा उक्त कट्‌टों के सील पैक होना दर्शाते हुए भी उक्त कट्‌टों में भरे माल का वजन उपर नीचे ठहराना बताते हुए अपीलार्थी को आरोपित करते हुए एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर बिना किसी सुनवाई एवं युक्ति–युक्त आधारों के अपीलार्थी के कार्यादेश एवं अनुबंध को निरस्त किया जाना अन्यायोचित रहा है। घटना स्थल पर अवस्थित गुमटी में FCI मार्क के 27 कट्‌टों का पाया जाना तथा उक्त गुमटी में 7 कट्‌टों का खुला पाया जाने से अपीलार्थी का कोई सरोकार नहीं था वरन् अपीलार्थी की ट्रकों के तकनीकी जांच हेतु वहाँ ऑन रोड़ खड़ी थी क्योंकि मौके पर उपस्थित भीड़ एवं पुलिस प्रशासन की उपस्थित में गूमटी से कोई गेहुँ कट्‌टे अपीलार्थी की ट्रकों में चढ़ाया या उतारा जाना कदापि संभव नहीं रहा है इस संबंध में रेस्पोडेन्टगण द्वारा पुलिस थाना प्रतापगढ़ में दर्ज कराई प्राथमिकी संख्या 164/2020 में भी ऐसे किसी कृत्यों को उल्लेखित नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा संचालित परिवहनित वाहनों में भरी सामग्री (गेहुँ) कट्‌टों से कोई हेरा फेरी नहीं की जा रही थी। रेस्पोडेन्टगण द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध यह भी आरोप लगाया जाना कि माह जनवरी 2020 में थाना प्रतापगढ़ अन्तर्गत दर्ज प्राथमिकी संख्या 30/2020 के दौरान भी अपीलार्थी दोषी आरोपी रहा है किन्तु उक्त प्राथमिकी अन्तर्गत अपीलार्थी संस्था किसी भी प्रकृम में पार्टी नहीं रही है। अपीलार्थी द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध न्यायिक विनिश्चय भी प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर विवादित आदेश दिनांक 14.04.2020 एवं 27.05.2020 को अपास्त फरमावें तथा अपीलार्थी की निगम में बकाया समस्त राशियों का भुगतान कराया जावे।

इसी प्रकृम में दौराने बहस पैरोकार सरकार रसद एवं रेस्पोडेन्ट संख्या–1 (प्रबंधक नागरिक आपूर्ति) प्रतापगढ़ द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं लिखित बहस दिनांक 15.06.2020 में वर्णित कथनों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किये की अपीलार्थी संस्था के विरूद्ध माह जनवरी 2020 में भी एक प्राथमिकी संख्या 30/2020 दर्ज हो जैरे कार्यवाही रही है तथा दिनांक 13.04.2020 को हमारे गोदाम से प्राप्त रसद सामग्री (गेहुँ) के कट्‌टे जरिये गेटपास क्रमांक 268/22 वाहन संख्या RJ 06 GA 2585 मात्रा 163.940 क्विटल एवं गेटपास क्रमांक 268/23 वाहन संख्या RJ 06 GA 0352 मात्रा 190.300 क्विटल तथा गेटपास क्रमांक 268/24 वाहन संख्या RJ 06 GA 0383 मात्रा 190.300 क्विटल लेकर तहसील क्षेत्र अरनोद एवं पीपलखुंट के लिए रवाना हुआ था किन्तु उनके द्वारा उक्त वाहनों को जीरो माईल स्थित अपीलार्थी के सब अनुबंधकर्ता श्री सलीम मुस्लमान की गुमटी पर लेजा खड़ा कर वाहनों में भरी सामग्री में हेरा फेरी

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

की जा रही थी जिसके चलते मौके पर उपस्थित लोगों की भीड़ द्वारा हंगामा किया जाने पर पुलिस प्रशासन एवं रेस्पोडेन्टगण हमराह अधिकारी/कार्मिकों के साथ मौके पर पहुँचे तो पाया कि अपीलार्थी की ट्रके उक्त गुमटी के बाहर परस्पर उल्टी दिशा में खड़ी की जाकर वाहनों में लदी सामग्री में हेर फेरी की जा रही है जिसका पुखता सबुत है कि गुमटी में FCI मार्का के 27 गेहुँ के कट्टे पाए गये जिसमें 7 कट्टे लुज तथा अन्य कट्टे शील्ड पैक अवसथा में थे चुँकी गुमटी मालिक संचालक उक्त गुमटी से राशन क्रय विक्रय का व्यापार व्यवसाय नहीं करता है फिर मौके से जब्त गेहुँ के कट्टे मौके पर कहाँ से आए ये जांच का विषय होने से रेस्पोडेन्टगण द्वारा उपस्थित लोगों के बयानात लिए गये जिसमें बयानकर्ताओं द्वारा अवगत कराया था कि उक्त माल अपीलार्थी संस्था की ट्रकों से हेरा फेरी की जा रही थी जब इस संबंध में रेस्पोडेन्टगण द्वारा अपीलार्थी के प्रतिनिधी एवं संस्थापक को जरिये टेलिफोनिक सूचना अवगत कराया गया तब उसके द्वारा भी एक रिपोर्ट दिनांक 13.04.2020 को पुलिस थाना प्रतापगढ़ में प्रस्तुत की गई थी जिससे स्पष्ट हो जाता है कि अपीलार्थी के वाहनों का विवादित स्थल पर पाया जाना तथा राजकीय वितरण सामग्री को गन्तव्य स्थल से पहुँचाने के पूर्व ही उक्त सामग्री में हेरा फेरी की जा रही थी। साथ ही निवेदन किया कि मौके पर की गई कार्यवाही एवं मौका स्थिति अनुसार जब गेहुँ का पुनः तौल कराया गया तो गेटपास में अंकित माप के बजाय पुनः तौल मापन में अन्तर पाया गया जिसके अनुसार एक ट्रक में 7.4974 क्विटल माल अधिक तथा दो ट्रकों में 2.28 क्विटल माल क्रमश : 1.00 क्विटल एवं 1.28 क्विंटल माल कम पाया गया जिसके चलते विभागीय समुचित कार्यवाही उपरान्त अपीलार्थी के विरूद्ध दिनांक 14.04.2020 को प्रातः 5 बजे धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत FIR संख्या 164/2020 दर्ज कराई गई थी।

उपरोक्त समुचित कार्यवाही के अनुसार अपीलार्थी संस्था द्वारा विभागीय कार्यादेश दिनांक 27.08.2019 के क्रम में निष्पादित अनुबंध दिनांक 30.08.2019 की शर्त संख्या 9,10,19,21,22 के उल्लघंन का दोषी पाया जाना से अपीलार्थी का कार्यादेश एवं अनुबंध विधिवत निविदा शर्तो के अधीन निरस्त किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी खारीज फरमावें।

बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया तथा सम्पूर्ण पत्रावली मय उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकरण में लागु प्रचलित विधियों नियमों, परिपत्रों, निविदा शर्तो का गहनत पूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया जिसमें मुख्य रूप से प्रस्तुत अपील मेमों दिनांक 05.06.2020, जवाब एवं लिखित बहस रेस्पोस्पोडेन्टगण दिनांक 15.06.2020, जवाब एवं लिखित बहस खण्डन अपीलार्थी दिनांक 18.06.2020, कार्यादेश दिनांक 27.08.2019 एवं अनुबंध पत्र दिनांक 30.08.2019, विवादित आदेश दिनांक 14.04.2020 एवं 27.05.2020, पुलिस थाना प्रतापगढ़ में दर्ज प्राथमिकी संख्या 164/2020 की छायाप्रति तथा उभयपक्षों के मध्य निष्पादित सामान्य TERMS & CONDITION विलेख तथा RTPP ACT 2012 में विहित-निहित प्रावधानों का भी अध्ययन एवं अवलोकन किया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन कि रोशनी में ज्ञात आया कि अपीलार्थी संस्था द्वारा दिनांक 13.04.2020 को जरिये गेटपास क्रमांक 268/22 वाहन संख्या RJ 06 GA 2585 मात्रा 163.940 क्विटल (320 कट्टे) एवं गेटपास क्रमांक 268/23 वाहन संख्या RJ 06 GA 0352 मात्रा 190.300 क्विटल (380 कट्टे) तथा गेटपास क्रमांक 268/24 वाहन संख्या RJ 06 GA 0383 मात्रा 190.300 क्विटल (380 कट्टे) लेकर तहसील क्षेत्र

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

अरनोद एवं पीपलखुंट के लिए रवाना हुए थे उक्त तथ्य रिकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध गेटपास छाया प्रतियों एवं विभागीय चालान प्रति दिनांक 13.04.2020 से सुस्पष्ट होते है तथा वक्त कार्यवाही उक्त वाहनो के जीरो माईल (नल) चौराहा स्थित गुमटी के बाहर खड़े होने का तथ्य दर्ज प्राथमिकी संख्या 164/2020 एवं उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत विविध दस्तावेज जवाब लिखित बहस में उल्लेखित किया गया है अर्थात वक्त कार्यवाही अपीलार्थी के वाहन मौके पर खड़े थे जिसके चलते मौके पर उपस्थित लोगों की भीड़ एवं पुलिस प्रशासन तथा रेस्पोडेन्टगण एवं अन्य विभागीय अधिकारी/कार्मिकों की उपस्थिति में की गई कार्यवाही तथा गुमटी से 27 कट्टों की जब्ती किया जाना तथा उक्त क्रम में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 13.04.2020 को गूमटी संचालक के विरूद्ध पुलिस थाना प्रतापगढ़ में लिखित शिकायत जरिये प्रतिनिधी प्रस्तुत किया जाना एवं मौके पर संचालित कार्यवाही के क्रम में प्राथमिकी संख्या 164/2020 दर्ज कराया जाना कहीं न कहीं राजकीय सामग्री के परिवहन एवं कालाबाजारी में हो रही अनियमितता का प्रतीक रही है। प्रश्नगत प्रकरण में विवादित आदेश दिनांक 14.04.2020 के अनुक्रम में निगम एवं अपीलार्थी संस्था अनुबंधकर्ता के मध्य निष्पादित अनुबंध दिनांक 30.08.2019 एवं कार्यादेश दिनांक 27.08.2019 एवं सामान्य TERMS & CONDITION विलेख तथा RTPP ACT 2012 में विहित–निहित प्रावधानों के साथ गहनता पूर्वक अध्ययन किये जाने पर प्रतीत होता है कि अनुबंध करार की शर्त संख्या 9,19 एवं 22 समान प्रकृति के हैं अर्थात परिवहनकर्ता (अनुबंधारी) राजकीय परिवहनित सामग्री की निर्धारित मात्रा एवं समान गुणवक्ता के साथ ही गन्तव्य तक पुहँचाने का कार्य करेगा यदि सामग्री की लदाई के समय से सामग्री के प्राप्तकर्ता राशन डीलर उतराई स्थान के मध्य अथवा उतराई के समय निर्धारित मात्रा एवं गुणवक्ता में किसी भी प्रकार की हेराफेरी प्रदर्शित होती है या शर्त संख्या 10 के अनुसार आवंटन एवं आपूर्ति के मात्रा में किसी प्रकार का अन्तर गबन/विपथन/डायवर्जन पाया जाता है अथवा शर्त संख्या 21 के अनुसार गोदाम से उठाये गये माल को सीधे उचित मुल्य की दुकानदार के अतिरिक्त अन्य स्थान पर परिवहनित या उतराता है तो सामान्य TERMS & CONDITION विलेख के नियम संख्या 27 के तहत् अनुबंधकर्ता के विरूद्ध कार्यदेश एवं अनुबंध निरस्ती की कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है परन्तु प्रकरण में अपीलार्थी के विरूद्ध अध्यारोपित आरोपों अर्थात् अनुबंधशर्तो के उल्लघंन के संबंध में युक्ति–युक्त जांच पूर्व एवं रेस्पोडेन्टगण द्वारा दर्ज प्राथमिकी संख्या 164/2020 के जैरे कार्यवाही रहते अपीलार्थी का कार्यदेश एवं अनुबंध निरस्त किया जाकर धरोहर राशि को जब्त किये जाने का आदेश दिनांक 14.04.2020 जल्दबाजी का प्रतीक रहा है जो संशयप्रद है क्योंकि अपीलार्थी पर अध्यारोपित आरोप सिद्ध दोष प्रमाणित होना अवशेष रहें है जिससे पूर्व अपीलार्थी का अनुबंध एवं कार्यादेश निरस्त किया जाना न्यायसंगत नहीं रह जाता है तथा विवादित आदेश से अपीलार्थी की अनुबंध धरोहरा राशि को जब्त किये जाने के लिए सामान्य TERMS & CONDITION विलेख के नियम संख्या 22 के अनुसार प्रबंध निदेशक, (MD) राजस्थान राज्य खाद्य् एवं आपूर्ति निगम, जयपुर ही सक्षम प्राधिकारी है ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्टगण द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 14.04.2020 विवादित हो जाता है। प्रश्नगत प्रकरण में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक विनिश्चय 2003 AIR (दिल्ली) 146 एवं 1987 EFR (पटना) तथा 2014 (III) Cr.L..R (राज.) 1356 स्वीकारोक्त प्रतीत होते है।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रबंधक नागरिक आपूर्ति राजस्थान राज्य खाद्य् एवं आपूर्ति निगम, प्रतापगढ़ द्वारा जारी आदेश दिनांक 14.04.2020 को अपास्त किया जाता है

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी संस्था (परिवहनकर्ता) अनुबंधारी के विरूद्ध दिनांक 13.04.2020 के दौरान पुलिस प्रशासन एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा की गई कार्यवाही तथा मौका परिस्थिति अनुसार दर्ज प्राथमिकी संख्या 164/2020 अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रकरण के अन्तिम निस्तारण तक अपीलार्थी का कार्यादेश दिनांक 27.08.2019 एवं अनुबंध दिनांक 30.08.2019 को विधिवत दिनांक 13.04.2020 बाद दोपहर से निलंबित मानते हुए निलबंन आदेश पृथक से जारी करें। अपीलार्थी संस्था (परिवहनकर्ता) अनुबंधारी की सम्पूर्ण निलबंन अवधी तक निगम वैकल्पिक व्यवस्था स्वरूप नियुक्त अन्य अनुबंधारी से नियत निविदा अनुरूप देय प्रतिफल राशि एवं नियम शर्तो के अधीन राजकीय सप्लाई कार्य पूर्ण करावें। साथ ही निर्देश दिये जाते है कि निलबिंत अनुबंधारी के निलबंन पूर्व की बाकियात राशि का नियमानुसार भुगतान करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 25.06.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर प्रतापगढ़

जिला कलक्टर प्रतापगढ़

(अनुपमा जोरवाल)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ़

Scanned with CamScanner